



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 104-2023/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, JUNE 9, 2023 (JYAISTHA 19, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 जून, 2023

संख्या 18/एस०टी०-1/ह०अ०६/2003/धा०59/2023.- चूंकि, राज्य सरकार की संतुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण लोकहित में तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है;

इसलिए, अब, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) की धारा 59 की उप-धारा (1) के परन्तुक के साथ पठित उक्त उप-धारा के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, 12 जून, 2023 से उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची छ में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) में, अनुसूची छ में, खाना 1, 2, 3 तथा 4 के नीचे, क्रम संख्या 5 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

1	2	3	4
"5	सभी प्रकार की मदिरा	18 प्रतिशत + 5 प्रतिशत की दर से अधिभार	सभी प्रकार की मदिरा जब बार तथा पब अनुज्ञापिधारीयो जैसे; अनु०-4/अनु०-5/अनु०-10ग/अनु०-10ड़/अनु०-12ग/अनु०-12छ/अनु०-4क/अनु०-12क-ग/अनु०-10च द्वारा बेची जाए: परन्तु इस प्रविष्टि के अधीन आने वाले व्यवहारियों को मदिरा के क्रय पर कोई भी इनपुट कर क्रेडिट अनुज्ञेय नहीं होगा।"

देविंदर सिंह कल्याण,  
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
आबकारी तथा कराधान विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

**Notification**

The 9th June, 2023

**No.18/ST-1/H.A.6/2003/S.59/2023.**— Whereas, the State Government is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action in public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 59 read with the proviso to said sub-section of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Schedule G appended to the said Act with effect from the 12<sup>th</sup> June 2023, namely:-

**AMENDMENT**

In the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), in the Schedule G, under columns 1, 2, 3 and 4, for serial number 5 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

1	2	3	4
“5	All types of liquor	18% + @5% surcharge	All types of liquor when sold by bar and pub licensees like; L-4/L-5 /L-10C/ L-10E/L-12C/L-12G/L-4A, L-12A-C and L-10F:  Provided that no Input Tax Credit shall be admissible to the dealers covered by this entry on purchase of liquor.”.

DEVINDER SINGH KALYAN,  
Principal Secretary to Government Haryana,  
Excise and Taxation Department.